

छत्तीसगढ़ सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों?

11 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतर्बिंधित कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतर्बिंधित करने की घोषणा की थी।
- सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में न्युक्त हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वरिद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर न्युक्त हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतर्बिंधित किया जाए।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सविलि सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में नमिनानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जसि महिलाओं के वरिद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर न्युक्त के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के वरिद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी न्युक्तिका मामला आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिये प्रशासनिक, व्यावहारिक और वधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है। प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएँ निःसंकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें।
- ज़िला स्तर पर प्रत्येक ज़िले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु महिला परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है।
- राज्य के 04 बड़े ज़िले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य के 6 ज़िले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, बिलासपुर, रायगढ़ तथा जांजगीर-चांपा में महिला वरिद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है।
- राज्य पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जसिके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजरस हैं।
- महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों को चनिहाकति कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के वरिद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3

नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

—00—

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।”

2/ उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध - भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।

3/ कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-government-s-big-decision-regarding-women-s-safety>

